217

संख्या : 230 / XLI-1 / 2015–22 / 2006

प्रेषक,

आर. के. सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर (पौड़ी गढवाल)।

तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 28 मार्च, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2014–15 में राजकीय ग्रामीण पॉलीटैक्निक, ताकुला (अल्मोड़ा) के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अगली किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318 / XXVII-1 / 2014 दिनांक 18.3.2014, शासनादेश संख्या 460 / XXIV-8 / 2006–22 / 2006 दिनांक 08.5.2006, शासनादेश संख्या 1326 / XXIV-8 / 2008–22 / 2006 दिनांक 27.02.2009, शासनादेश संख्या 696 / XLI-1 / 2011–22 / 2006 दिनांक 24.6.2011, शासनादेश संख्या 981 / XLI-1 / 2013–22 / 2006 दिनांक 10.12.2013 तथा आपके पत्र संख्या 858 / नि.प्रा.शि. / प्लान–छः–49 / 2014–15 दिनॉक 01.12.2014 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्य के आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 374.55लाख के सापेक्ष अब तक अवमुक्त की जा चुकी धनराशि ₹ 250लाख के उपरान्त अवशेष धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2014–15 में अग्रेतर **₹ 40.97लाख (₹ चालीस लाख सत्तानबे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त धनराशि का वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318 / XXVII(1)/2014 दिनांक 18.3.2014, विशेषकर प्रस्तर–6 में निहित दिशानिर्देशानुसार व्यय किया जाएगा।
2. धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन / वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2015 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआवश्यकता किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के 80प्रतिशत उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

क्रमशः...

6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लाई जाए।
8. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
9. शेष शर्तें/प्राविधान उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार यथावत लागू होंगे।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या 11' के 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "4202– शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्प–00–आयोजनागत–16–पालिटेक्निकों हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण" के मानक मद "24–वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. S1503110144 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.3.2014 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर. के. सुधांशु)
सचिव।

संख्या : 230 (1)/XLI(1)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/पौड़ी गढवाल।
5. परियोजना प्रबंधक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम, अल्मोड़ा।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस. एस. टोलिया)
उप सचिव।